


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1002]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 1002]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 1556(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 396 की उपधारा (1) के अधीन दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ) तारीख 03 नवंबर, 2015 द्वारा प्रादेशिक निदेशकों के क्षेत्राधिकार अधिसूचित किए थे।

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या (7) के कॉलम (2) में, “कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों” शब्दों के स्थान पर “कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों” शब्द रखे जाएंगे और ऐसा प्रतिस्थापन 03 नवंबर, 2015 से प्रभावी समझा जाएगा।

[फा. सं.1/16/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण 1: अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव होने के कारण किसी पणधारकों के विशेषाधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पण 2 : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 832(अ) तारीख 03 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

S.O. 1556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government notified the jurisdictions of Regional Directors *vide* notification number G.S.R 832(E) dated 03.11.2015 to discharge the functions under sub-section (1) of section 396 of the said Act.

2. In the said notification in serial number (7), in column (2), for the words “States of Karnataka and Andhra Pradesh” the words “States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 3rd November, 2015.

[F. No. 1/16/2013 -CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note 1 : Providing retrospective effect to the notification would not adversely affect the rights or privileges of any of the stakeholders.

Note 2 : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 832(E), dated 3rd November, 2015.